



Social Security Scotland
Tèarainteachd Shòisealta Alba

अन्तिम बीमारी गंभीर रूप से बीमार बच्चों के बच्चों के लिए अयोग्यता का समर्थन

जब आपके विचार आपके बच्चे पर केंद्रित होंगे, इस लीफलेट से आपको यह पता चलेगा कि आपके और आपके परिवार के लिए कौन सी डिसेबिलिटी सहायता उपलब्ध है।

चाइल्ड डिसेबिलिटी भुगतान

यदि आप 16 वर्ष से कम उम्र के किसी बच्चे की देखभाल कर रहे हैं, जिसे कोई अन्तिम गंभीर बीमारी है, तो चाइल्ड डिसेबिलिटी भुगतान से आपको वित्तीय सहायता मिलेगी।

चाइल्ड डिसेबिलिटी भुगतान के दो हिस्से होते हैं: एक देखभाल भाग और दूसरा मोबिलिटी भाग।

चाइल्ड डिसेबिलिटी भुगतान का मोबिलिटी भाग केवल 3 वर्ष और उससे अधिक आयु के बच्चों के लिए उपलब्ध होता है।

आवेदन कैसे करें

हमने आवेदन प्रक्रिया को जहां तक संभव हो, आसान बना दिया है। हम आप से केवल वही जानकारी मांगेंगे जो हमें बच्चे के आवेदन के बारे में निर्णय लेने के लिए चाहिए।

आवेदन-पत्र में आपसे आपके और बच्चे के बारे में कुछ जानकारी मांगी जाएगी। इसके अतिरिक्त, आपके बच्चे का डाक्टर या हैल्थकेअर प्रैक्टीशनर को बेंनेफिट्स असेसमेंट अन्डर स्पेशल रूल्स (Benefits Assessment under Special Rules (BASRiS)) फार्म को भरें जिससे उनकी अन्तिम गंभीर बीमारी के बारे में बताया जा सके। आप कहें तो हम बच्चे के स्वास्थ्य से वाप्रदाता से इसका अनुरोध कर सकते हैं।

यदि आपके डाक्टर या हैल्थकेअर प्रैक्टीशनर ने DS1500 फार्म या बजाए इसके SR1 फार्म भरा है, तो सोशल सैक्योरिटी स्कॉटलैंड इसको स्वीकार कर लेगा। यदि आप अपने आवेदन-पत्र के बारे में किसी के साथ बातचीत करना चाहते हैं, तो आप हमारे विशेष रूप से प्रशिक्षित सलाहकारों के साथ उन्हें इस निशुल्क फ़ोन नम्बर पर फ़ोन कर के बात कर सकते हैं 0800 182 2222.

या आप mygov.scot/benefits पर ऑनलाइन, डाक द्वारा, आमने-सामने की लोकल मुलाकात के माध्यम से या फोन द्वारा आवेदन कर सकते हैं।

स्कॉटलैंड में विशेष नियमों के तहत बेनिफिट असेसमेंट (लाभ आकलन) का फार्म क्या है?

एक BASRiS फार्म एक डाक्टर या हैल्थकेअर प्रैक्टीशनर के द्वारा भरा जाएगा और हमें वापिस भेजा जाएगा जिससे इस बात की पुष्टि हो की उनका रोगी अन्तिम बीमारी में है। इस का अर्थ यह है कि फॉर्म मिलने पर हम चाइल्ड बाल डिसेबिलिटी भुगतान के लिए उनके आवेदन को तेजी से ट्रैक कर सकते हैं।

फिर इस फॉर्म का उपयोग हमें यह बताने के लिए किया जा सकता है कि डिसेबिलिटी लाभों के लिए आवेदन करते समय आवेदक को कोई लाइलाज बीमारी है।

जब हम आपका आवेदन प्राप्त करते हैं

आवेदन सफलतापूर्वक पूरा हो जाने पर:

- उन्हें ऑटोमैटिक रूप से देखभाल के लिए अधिकतम अवार्ड मिलेगा
- यदि बच्चा 3 वर्ष या उससे अधिक की आयु का है, तो उन्हें ऑटोमैटिक रूप से मोबिलिटी का अधिकतम रेट मिलेगा
- बिना पुनर्विचार किए उन्हें यह अवार्ड मिलता रहेगा
- उन्हें चाइल्ड डिसेबिलिटी भुगतान मिलेगा चाहे बच्चा कितने भी समय से बीमार हो
- इस अवार्ड की गणना आपकी ओर से आवेदन मिलने की तिथि या लाइलाज बीमारी का पता लगने की तिथि से किया जाएगा, जो भी पहले हो।

इसमें कितना समय लगेगा?

आपका आवेदन फास्ट-ट्रैकड होगा और हमारे विशेष प्रशिक्षित स्टाफ द्वारा संचालित किया जाएगा। हम अपने निर्णय का एक पत्र भेजेंगे।

बीमारी का पता लगने पर सेकंड ओपिनियन लेना

यदि आप इस क्लिनिकल ओपिनियन राय से सहमत नहीं हैं कि बच्चे को अन्तिम गंभीर बीमारी नहीं है, तो आप सेकंड ओपिनियन दूसरी राय ले सकते हैं। आप mygov.scot पर जाकर और रोगी के अधिकारों को खोज करके रोगी के अधिकारों और जिम्मेदारियों के चार्टर के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

मैं और अधिक जानकारी प्राप्त करके आवेदन कैसे कर सकता हूँ?

आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और mygov.scot/benefits पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आप दिए हुए फोन पर आवेदन कर सकते हैं या सामाजिक सुरक्षा स्कॉटलैंड को कॉल करके डाक द्वारा निःशुल्क एक पेपर आवेदन पत्र मांग कर सकते हैं 0800 182 2222.



जीने के लिए कीमतों के बारे में कई लोग चिन्तित हैं। आप अकेले नहीं हैं। यह जानने के लिए कि कौन सी सहायता के लिए आपका अधिकार है, कृपया इस वेबसाइट पर जाएँ gov.scot/costoflivingsupport. या अपने स्थानीय सिटिज़न्स ऐडवाइस ब्यूरो पर जाएँ।

आप हम से कैसे संपर्क कर सकते हैं?



इस नंबर पर हमें निःशुल्क कॉल करें: 0800 182 2222



टेक्स्ट रिले सेवा: 18001 +0300 244 4000 (ऊँचा सुनने वालों के लिए)



ब्रिटिश साइन भाषा उपयोगकर्ता: contactscotland-bsl.org



वेब चैट: chat.socialsecurity.gov.scot

सोशल सिव्योरिटी स्कॉटलैंड को फॉलो करें

